द टेलीफोन जिला प्रबंधक एवं अन्य

बनाम

केशव देब (सिविल अपील संख्या 3324/2008)

6 मई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 :

आकस्मिक श्रम – समाप्ति - मंच की पसंद के मामले में चुनाव का अधिकार - जहां एक कर्मचारी न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता खंड के उल्लंघन के आधार पर बल्कि प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर भी रिट याचिका दायर करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, उसके पास अपना मंच चुनने का विकल्प है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14

कैज़ुअल वर्कर की बर्खास्तगी - मुआवज़ा देना - ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी-कर्मचारी को बर्खास्त करना अवैध था - की शुद्धता - माना गया: तथ्यों पर, सही - हालाँकि, पूरे वेतन के साथ प्रतिवादी की बहाली के लिए स्वचालित निर्देश नहीं था विचार किया गया - भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं

किया गया था, प्रतिवादी-कर्मचारी केवल उचित मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने का हकदार था - मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया रु. 1,50,000/- का।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - धारा 28 - माना गया: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता - यह औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बचाता है।

प्रतिवादी को दैनिक वेतन पर आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कथित कदाचार के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25&एफ में निहित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके अलावा उन्होंने समाप्ति के उक्त आदेश को पारित करने में अपीलकर्ताओं की ओर से मनमानी का आरोप लगाया और कैज़ुअल लेबर्स (नियमितीकरण में अस्थायी स्थिति का अनुदान; योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के संदर्भ में उनकी सेवाओं को नियमित करने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया, यह मानते हुए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के तहत

निहित प्रावधान के मद्देनजर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने लिखित बयान में अन्य बातों के साथ&साथ यह तर्क भी उठाया कि प्रतिवादी एक आकस्मिक कर्मचारी होने के कारण उक्त योजना के लाभ का हकदार नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक आकस्मिक श्रमिक के रूप में प्रतिवादी का रवैया, व्यवहार और आचरण बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। हालाँकि, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा पारित समाप्ति का आदेश अवैध था। तदनुसार, सेवा के नियमितीकरण के लाभ सहित सभी सेवा लाभों के साथ प्रतिवादी को बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के आधार पर बरकरार रखा गया था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का दावा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; प्रतिवादी ने रिट याचिका में किसी भी बकाया वेतन का दावा नहीं किया है, वह इसका हकदार नहीं था; कि उसे केवल दैनिक दर के आधार पर आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, नियमितीकरण की योजना लागू नहीं थी; कि उन्हें सेवा में बने

रहने का कोई अधिकार नहीं है, आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से गलत है और उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखने में गंभीर त्रुटि की है और इसके अलावा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी का एकमात्र उपाय औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर करना था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं यह तर्क दिया था कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास अपेक्षित क्षेत्राधिकार था, अब वे पलटकर यह तर्क नहीं दे सकते कि उनके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था; प्रतिवादी एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 में आवेदन पर विचार करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था और समाप्ति का आदेश मनमाने ढंग से जारी किया गया है, आक्षेपित निर्णय अप्राप्य है।

अपील का निपटारा करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया

अभिनिर्धारित 1.1 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 का वर्तमान मामले में कोई प्रभाव नहीं है। वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां अन्य बातों के साथ-साथ एक कर्मचारी न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता खंड के उल्लंघन के आधार पर

बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर भी रिट याचिका दायर करता है उसके पास अपना मंच चुनने का विकल्प है। धारा 28 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाती है। यह औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बचाता है। इसलिए, जो कर्मचारी स्वयं को कर्मकार होने का दावा करता है, उसे मंच के चुनाव के मामले में चुनाव का अधिकार होगा। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास विवादित निर्णय पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने सेवाओं में नियमितीकरण का दावा किया। ऐसा आवेदन संधार्य योग्य था। हालाँकि, वह इस तरह की राहत का हकदार होगा या नहीं, यह एक अलग सवाल है। ट्रिब्यूनल निर्विवाद रूप से मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का हकदार था। [Paras 14, 15, [848-B-D]

1.2 ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय सही थे कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उसने कदाचार किया है। इसी आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। लेकिन इसलिए वह सुनवाई के अवसर का हकदार था। उनके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी; समाप्ति का आदेश प्रकृति में कलंकात्मक है। हालाँकि, राहत देते समय, वरिष्ठ न्यायालयों को

उसके लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जो वर्तमान मामले में हैं:- ए) प्रतिवादी की भर्ती प्रथम दृष्टया अवैध थी क्योंकि इससे पहले न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया था और न ही रिक्ति के संबंध में रोजगार कार्यालय को सूचित किया गया था; बी) ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी ने खुद को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत भी करवाया था और सी) दैनिक दर्ज़ा प्राप्त कैज़ुअल कर्मचारी होने के कारण उसे सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। [Paras 17, 18) [848-G-H and 849-A-C]

1.3 यहां तक कि ऐसे मामले में जहां बर्खास्तगी का आदेश अवैध है, पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली के लिए एक स्वचालित निर्देश पर विचार नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत परिकल्पित अनुसार प्रतिवादी एक महीने के नोटिस के बदले में एक महीने के वेतन और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 15 दिनों के वेतन का हकदार था। उन्हें सेवा में नियमित करने या अस्थायी दर्जा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। इस तरह की योजना को इस न्यायालय द्वारा असंवैधानिक माना गया है। इसलिए बकाया वेतन के साथ बहाली के निर्देश के बजाय मुआवजा देना न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। [Paras 19, 20) [849-D-F]

1.4 भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो, प्रतिवादी केवल उचित मुआवजे का भुगतान करने का हकदार था। हालाँकि, मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने न केवल अनुचित रुख अपनाया बल्कि ट्रिब्यूनल में क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति के संबंध में एक विवाद उठाया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लंबे समय तक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया और ऐसे विवाद उठाए जो अन्यथा तर्कसंगत नहीं थे। इसलिए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि प्रतिवादी को 1,50,000/- (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। [Paras 23, 24, [851-C-E]

ए- उमारानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य, (2004) 7 एससीसी 112 और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य (2006) 4 एससीसी 1- पर भरोसा किया।

शंकर दास बनाम भारत संघ और अन्य, (1985) 2 एससी 358; अत्यंत पिचरा बर्ग छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य महासंघ और अन्यए 2006 (6) एससीसी 718; इंद्रा साहनी बनाम भारत संघए

(1992) सप्प (3) एससीसी 217 और अजॉय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघए (1984) 3 एससीसी 127- संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3324 2008

रिट याचिका (सी) संख्या 8321 ऑफ़ 2002 में गौहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 21-08-2003 के अंतिम निर्णय और आदेश से

अपीलकर्ताओं के लिए एन-एम- शर्मा, श्वेता गुप्ता और अनिल कुमार टंडाले।

प्रतिवादी की ओर से के- सारदा देवी।

न्यायालय का फैसला

एस-बी- सिन्हा, जे- द्वारा सुनाया गया। लीव मंजूर।

1. प्रतिवादी एक ड्राइवर है, उसने दूरसंचार निदेशालय, दीमापुर में अपनी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। उसने 30 जनवरी, 1984 को इसके लिए एक आवेदन दायर किया था। इसके जवाब में अपीलकर्ता ने 30 जनवरी, 1984 को अपने पत्र में कहा था :-

> "आपके आवेदन दिनांक 30.1.984 के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि वर्तमान में चालक आदि की भर्ती पर रोक है। भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद आपके मामले पर

विचार किया जाएगा। इसके अलावा, आपको उचित समय पर विचारार्थ रोजगार कार्यालय विवरण, आयु, प्रमाण पत्र आदि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।"

2. हालाँकि, प्रतिवादी को दैनिक वेतन पर एक आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा कहा गया था कि यह जरूरत के आधार पर होगा। कथित तौर पर उन्होंने 11 मार्च, 1989 से उस पद पर काम किया था।

3. हालाँकि, प्रतिवादी को पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (6) से उत्पन्न एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके सिलसिले में उन्हें 8 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ा। उन्हें 30 रुपए जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई।

उन्हें अपने कर्तव्यों में वापस शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसका पैराग्राफ 7 इस प्रकार है :-

"7. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक कहता है कि इसके मद्देनजर वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित एक श्रमिक था। वह कोई सिविल पद नहीं संभाल रहा था और न ही किसी सिविल सेवा से

संबंधित था और इसलिए उसका मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हालांकि उन्होंने भारत सरकार के अधीन कार्य किया है।"

4. उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह तर्क भी उठाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ में निहित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की, जिसे "कैज़ुअल लेबर्स (नियमितीकरण में अस्थायी स्थिति का अनुदान) योजना" के रूप में जाना जाता है।

उनकी रिट याचिका में प्रार्थना इस प्रकार थी :-

"उपरोक्त परिसर में, याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है कि महामहिम रिकॉर्ड मंगाने और उत्तरदाताओं को कारण बताने के लिए नियम जारी करने की कृपा करें कि क्यों एक उचित रिट और/या निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की विवादित कार्रवाई को अवैध, असंवैधानिक, शून्य और शून्य घोषित किया गया और/या उत्तरदाताओं के विवादित कार्यों को दरकिनार करते हुए उत्प्रेषण लेख और/या परमादेश और/या किसी अन्य

उपयुक्त रिट की प्रकृति में एक रिट क्यों जारी नहीं की जाएगी? और याचिकाकर्ता को दैनिक दर पर मस्टर रोल लेबर (ड्राइवर) के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश और आदेश देना और 1.10.1989 से प्रभावी "कैज़ुअल लेबर्स (नियमितीकरण में अस्थायी स्थिति का अनुदान) योजना" के तहत ड्राइवर के नियमित पद पर नियुक्त किए जाने वाले नियमितीकरण के मामले पर भी विचार करें और कारण या कारण बताए जाएं और जैसा कि पक्षों की सुनवाई के बाद लॉर्डशिप उपयुक्त एवं माकूल समझे, नियम को पूर्ण बनाने और/या कोई अन्य या आगे के आदेश पारित करने की कृपा करें।"

5. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यवाही में अपीलकर्ताओं की ओर से एक विवाद उठाया गया था कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 में निहित प्रावधानों के संबंध में रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ को स्थानांतरित करते हुए निम्नलिखित शब्दों में उक्त प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया :-

"4. प्रारंभ में, श्री एस.एन. चेतिया ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के प्रावधान के मद्देनजर इस रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई। श्री बेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत संघ एवं अन्य... अपीलकर्ता बनाम दीप चंद पांडे एवं अन्य... प्रतिवादी (1992) 4 एससीसी 432 के परिप्रेक्ष्य में श्री एस.एन.चेतिया की बात को उचित रूप से स्वीकार किया। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है; "दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत कैज़ुअल रेलवे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर, उपचार ट्रिब्यूनल के समक्ष होगा, न कि उच्च न्यायालय के समक्ष।" सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, और अधिनियम की धारा 14 के तहत निहित प्रावधान के मद्देनजर, यह रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है।"

6. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने लिखित बयान में अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क भी उठाया कि प्रतिवादी एक आकस्मिक कर्मचारी होने के कारण उक्त योजना के लाभ का हकदार नहीं है। आगे यह भी कहा गया :-

"5. पैरा 5 में की गई सामग्री के संबंध में कि आवेदक के रवैये का व्यवहार और विभाग में एक आकस्मिक श्रम के रूप में आचरण बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। उन्हें इस तरह के अपराध के लिए 12.3.1989 पर मोकोकचुंग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आवेदक पर मुकदमा चलाया गया और कानून की अदालत द्वारा दोषी पाया गया और उसे ADC (J)/ मोमाखूच्ण (FM-21/89 दिनांक 13.3.1989) द्वारा 13.3.1989 पर जुर्माना लगाया गया, जिसकी प्रतिलिपि के साथ अनुलग्नक है और अनुलग्नक आर -1 के रूप में चिह्नित है।"

7. हालांकि, 11 अप्रैल, 2002 को निर्णय और आदेश के कारण प्रशासनिक न्यायाधिकरण की गुवाहाटी पीठ, ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा पारित समाप्ति का आदेश अवैध था, शंकर दास बनाम भारत का संघ और एक अन्य: (1985) 2 एससी 358 में इस अदालत के फैसले के आधार पर और भरोसा करते हुए :--

"हमारे विचार में उत्तरदाताओं ने गलत कार्रवाई का सहारा लेते हुए सबसे अधिक आकस्मिक तरीके से काम किया। आवेदक को अपनी ड्यूटी में बने रहने की अनुमति न देने का आदेश भी लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा दिए गए

आधार पर नहीं दिया जा सकता है, जिसमें साफ संकेत दिया गया है कि उन्होंने उसे खंडन करने का कोई मौका दिए बिना कुछ कथित दुराचार भी किया। परिस्थितियों में यह आदेश दंडात्मक भी प्रतीत होता है"

इसका निर्देश दिया गया था

"4. ऊपर बताए गए सभी कारणों से हम इस राय के हैं कि समाप्ति का लगाया गया आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और उत्तरदाताओं की कार्रवाई को अवैध और अल्ट्रा वायरस माना जाता है। तदनुसार, उत्तरदाताओं को आवेदक को तत्काल पद पर बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि समाप्ति का आदेश अवैध पाया गया है, इसलिए आवेदक 27.3.1997 तक के सभी पिछले वेतन का हकदार होगा, यानी जिस तारीख को स्थानांतरण आवेदन को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था, साथ ही सेवा की नियमितीकरण के लाभ सहित सभी सेवाओं के लाभ भी शामिल होंगे।"

8. चूंकि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद ट्रिब्यूनल के उक्त फैसले और आदेश से असंतुष्ट होकर गुवाहाटी उच्च

न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। हालाँकि, 21 अगस्त, 2003 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के आधार पर उक्त उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उसी राय को खारिज कर दिया:-

> "लिखित कथन को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी की सेवा समाप्त करने का आदेश इस तथ्य के कारण नहीं है कि उसकी सेवा जारी नहीं रखी जा सकती थी और उस पद पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसकी सेवा समाप्ती का कारण था कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसने वाहन का दुरुपयोग किया और वाहन को नुकसान पहुंचाया।
>
> जब कर्मचारी की बर्खास्तगी कदाचार के कारण होती है तो वह अपनी बात सुनने और अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर दिए जाने का हकदार है। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई किसी भी जांच के अभाव में बर्खास्तगी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि 30/- रुपये के जुर्माने की सजा को प्रतिवादी को उसके रोजगार से बर्खास्त करने के लिए कदाचार नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में हमें केंद्रीय प्रशासनिक

न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा या पर्याप्त कारण नहीं मिला।"

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एन.एम. शर्मा अपना पक्ष रखेंगे :-

i) प्रतिवादी का दावा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित होने के कारण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

ii) प्रतिवादी ने रिट याचिका में किसी भी बकाया वेतन का दावा नहीं किया है, वह इसका हकदार नहीं था।

iii) उन्हें केवल दैनिक दर के आधार पर आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, नियमितीकरण की योजना लागू नहीं थी।

iv) उसे सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आक्षेपित निर्णय पूर्णतः ग़लत है।

v) उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखने में गंभीर त्रुटि की।

vi) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी का एकमात्र उपाय औद्योगिक न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करना था।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्रीमती के. सारदा देवी ने प्रस्तुत किया:-

i) अपीलकर्ताओं ने स्वयं यह तर्क दिया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास अपेक्षित क्षेत्राधिकार था, अब वे पलटकर यह तर्क नहीं दे सकते कि उनके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

ii) प्रतिवादी एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास आवेदन पर विचार करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था।

iii) समाप्ति का आदेश मनमाने ढंग से जारी किया गया है; आक्षेपित निर्णय अप्राप्य है।

11. प्रतिवादी ने स्वयं को सरकारी कर्मचारी होने का दावा किया। उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में अपनी भर्ती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने समाप्ति के उक्त आदेश को पारित करने में अपीलकर्ताओं की ओर से मनमानी का आरोप लगाया। उक्त रिट याचिका में अपीलकर्ताओं की

ओर से एक तर्क उठाया गया था कि प्रतिवादी के पास केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने का वैकल्पिक उपाय था, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। उक्त तर्क की अनुमति दी गई। आवेदन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया था। यदि रिट याचिका सुनवाई योग्य थी तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

12. अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार है:-

> "धारा 14 - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिकार। -
>
> (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नियत दिन से, प्रयोग किए जाने वाले सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।
>
> उस दिन के ठीक पहले सभी न्यायालयों द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) इसके संबंध में -
>
> (ए) किसी भी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत एक सिविल पद या रक्षा से जुड़े किसी पद पर या रक्षा सेवाओं में भर्ती, और भर्ती से

संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में, किसी नागरिक द्वारा भरा गया पद;

(बी) संबंधित सभी सेवा मामले-

(i) किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या

(ii) कोई व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी सिविल पद पर नियुक्त किया गया है; या

(iii) कोई नागरिक जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी रक्षा सेवाओं या रक्षा से जुड़े किसी पद पर नियुक्त है और ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित है। संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या समाज के मामलों से संबंध;

(सी) उप-खंड (ii) या उप-खंड में निर्दिष्ट किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले

(iii) खंड (बी) में, ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या किसी निगम या समाज या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के निपटान में रखी गई हैं।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में "संघ" के संदर्भों को एक केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भों को भी शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से उप-धारा (3) के प्रावधानों को भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत स्थानीय या अन्य अधिकारियों और स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों या समाजों पर लागू करें, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या सोसायटी नहीं है:

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा परिकल्पित योजना में परिवर्तन की सुविधा के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन समझती है, तो इस उप-धारा के तहत अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं, स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या निगमों या समाजों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न वर्गों या विभिन्न श्रेणियों के संबंध में।

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस तारीख से, जिस दिन से इस उप-धारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या समाज पर लागू होते हैं, उस तिथि के ठीक पहले सभी न्यायालयों द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) के संबंध में सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्राधिकार प्रयोगयोग्य है -

(ए) ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम के मामलों के संबंध में किसी भी सेवा या पद पर भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले

(बी) किसी व्यक्ति से संबंधित सभी सेवा मामले [उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा, ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के मामलों के संबंध में

किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त या निगम या सोसायटी और ऐसे मामलों के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित।"

13. हमारी राय में, श्री शर्मा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 पर रखा गया भरोसा कोई मायने नहीं रखता। यह पढ़ता है :-

धारा 28 - उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का बहिष्कार

उस तारीख से जिस दिन से इस अधिनियम के तहत किसी भी सेवा या पद पर भर्ती और भर्ती से संबंधित मामलों या किसी भी सेवा के सदस्यों या किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित सेवा मामलों के संबंध में किसी न्यायाधिकरण द्वारा कोई अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकार प्रयोग योग्य हो जाता है। , [इसके अलावा कोई अदालत नहीं-

(ए) सुप्रीम कोर्ट; या

(बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत

गठित कोई भी औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय या अन्य प्राधिकरण,

ऐसी भर्ती या ऐसे सेवा मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में,, या किसी भी क्षेत्राधिकार, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

14. वर्तमान प्रकृति के मामले में, जहां अन्य बातों के साथ-साथ एक कर्मचारी न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड के उल्लंघन के आधार पर बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर भी रिट याचिका दायर करता है। उनके पास अपना मंच चुनने का विकल्प है। धारा 28 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाती है। यह औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बचाता है। इसलिए, जो कर्मचारी स्वयं को कर्मकार होने का दावा करता है, उसे मंच के चुनाव के मामले में चुनाव का अधिकार होगा। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास विवादित निर्णय पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने सेवाओं में नियमितीकरण का दावा किया। ऐसा आवेदन रखरखाव योग्य था। हालाँकि, वह इस तरह की राहत का हकदार होगा या नहीं, यह एक अलग सवाल है।

15. एक न्यायाधिकरण निर्विवाद रूप से मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का हकदार था।

16. किसी भी स्थिति में अपीलकर्ताओं ने स्वयं ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में विवाद उठाया। यह सच हो सकता है कि कोई भी क्षेत्राधिकार सहमति से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस पर ध्यान देने का हकदार है। यह किसी पार्टी को उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए उसके समक्ष इस तरह का विवाद उठाने की अनुमति नहीं दे सकता है।

17. ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय सही थे कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी।

18. अपीलकर्ताओं के अनुसार, उसने कदाचार किया है। इसी आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। लेकिन इसलिए वह सुनवाई के अवसर का हकदार था। उनके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी; समाप्ति का आदेश प्रकृति में कलंकात्मक है। हालाँकि, राहत देते समय, वरिष्ठ न्यायालयों को उसके लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जो, हमारी राय में, तत्काल मामले में हैं: -

ए) प्रतिवादी की भर्ती प्रथम दृष्टया अवैध थी क्योंकि इससे पहले न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया था और न ही रिक्ति के संबंध में रोजगार कार्यालय को सूचित किया गया था।

बी) ऐसा नहीं लगता कि प्रतिवादी ने खुद को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत भी कराया हो।

ग) दैनिक दर्ज़ा प्राप्त कैज़ुअल कर्मचारी होने के कारण उसे सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

19. यहां तक कि ऐसे मामले में जहां बर्खास्तगी का आदेश अवैध है, पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली के लिए एक स्वचालित निर्देश पर विचार नहीं किया गया है। वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत परिकल्पित के रूप में एक महीने के नोटिस के बदले में एक महीने के वेतन और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 15 दिनों के वेतन का हकदार था। उन्हें सेवा में नियमित करने या कोई अस्थायी दर्जा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। इस तरह की योजना को इस न्यायालय द्वारा ए. उमारानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य: (2004) 7 एससीसी 112 और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य। (2006) 4 एससीसी 1 के मामले में असंवैधानिक माना गया है।

20. इसलिए, हमारी राय है कि बकाया वेतन के साथ बहाली के निर्देश के बजाय मुआवजा देना न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

21. अत्यंत पिछड़ा बर्ग छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य महासंघ और अन्य: 2006 (6) एससीसी 718 में इस न्यायालय ने यह राय देते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यह कहते हुए कि असमानों को समान नहीं माना जा सकता है। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ: 1992 सप्लिमेंट (3) एससीसी 217 में इस न्यायालय ने कानून को निम्नलिखित शब्दों में बताया :-

> "23. मांडा/आयोग मामले में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। झारखंड राज्य अपने कार्यों से उन समुदायों को अशक्त करना चाहता है जिन्हें बिहार अधिनियम को सचेत रूप से अपनाने के बाद आरक्षण का लाभ दिया गया है। जीओ नंबर 5800 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को एक समूह में मिलाकर जो करना चाहता है वह असमानों के साथ समान व्यवहार करना है। इस प्रकार मूल समानता की धारणा और भारत के संविधान

के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए इसे न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है।"

22. अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ: (1984) 3 एससीसी 127 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार फैसला सुनाया है :-

"50. भेदभाव हमेशा भेदभावपूर्ण नहीं होता है। यदि कोई तर्कसंगत संबंध है जिसके आधार पर विशेष प्रावधान द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ भेदभाव किया गया है, तो ऐसा भेदभाव भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। यह सिद्धांत अब इतनी अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि मामलों के संदर्भ में इसे दोहराया नहीं जा सकता। विभेदीकरण का एक सुस्पष्ट आधार है। क्या समान परिणाम या बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता था और भेदभाव का बेहतर आधार विकसित किया गया था, यह विधायिका के क्षेत्र में है और इसे विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर यह माना जाता कि 1980 की योजना अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार के भीतर थी, तो हमने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अधिनियम और योजना को चुनौती को खारिज कर दिया होता।"

आगे कहा गया:-

"52. उत्तरदाताओं की ओर से यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीयकरण के कानून का तर्काधार, औचित्य और उत्पत्ति एक सामाजिक कल्याण समाज में शासन के संवैधानिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को पूरा करने, जनता को चलाने के लिए आर्थिक साधनों का निर्माण है क्षेत्र के उपक्रम न तो प्रबंधन की लाभ कमाने के लिए हैं और न ही ऐसे मुनाफे को केवल श्रमिकों के साथ साझा करने के लिए हैं, बल्कि ऐसे उद्यमों और उपक्रमों के परिणामस्वरूप उपलब्ध निवेश योग्य धन का उपयोग उक्त क्षेत्रों पर काम करने वाली सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित सामाजिक रूप से उन्मुख लक्ष्यों के लिए करते हैं। .इस संबंध में हमारे सामने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया था।"

23. भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो, प्रतिवादी केवल उचित मुआवजे का भुगतान करने का हकदार था। हालाँकि, मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय हमें अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए रुख को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने न केवल अनुचित रुख अपनाया बल्कि ट्रिब्यूनल में

क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति के संबंध में एक विवाद उठाया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लंबे समय तक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया। इसने विवाद उठाया था जो अन्यथा तर्कसंगत नहीं है

24. इसलिए, हमारी राय है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और तथ्यों और परिस्थितियों में यदि प्रतिवादी को 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। उक्त राशि का भुगतान उसे चार सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा उस पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

25. अपील का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के साथ किया जाता है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

यह अनुवाद अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अमित सहलोत पोक्सो कोर्ट संख्या 02, चित्तौड़गढ़, द्वारा किया गया हैं।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।